भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

प्रम-643-II-16

(86)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015

फूलचंद आ. श्री नन्नूलाल चौहान जाति खटिक
आयु 67 वर्ष निवासी होलिका चौराहा श्यामपुर
कृषक ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

सतीश आ. श्री अर्जुन सिह आयु वयस्क
निवासी ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर म0प्र0 ....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 10/09/2015 प्रकरण कमांक 18/अ-12/14-15 (सतीश विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. **प्रकरण कमांक 18/अ-12/14-15 (सतीश विरुद्ध सर्वसाधारण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय श्यामपुर दिनांक 10/07/2015**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय, के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंट के द्वारा भूमि सर्वे नंबर 446 रकबा 0.097 हेक्टेयेर, सर्वे नंबर 450/1 रकबा 1.214 हैक्टेयर स्थित ग्राम बैरागढ़ खुमान तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0 उल्लेखित करते हुये भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेढ़िया कृषकों को एवं निगरानीकर्ता को सूचना एवं सूनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर विधिवत सूचना पत्र तामिल कराये बगैर राजस्व प्रकिया के विपरीत जाकर अवैधानिक एंव दुषित प्रक्रिया का पालन करते ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-643-II/16 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
28-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	